☎ 0522–2838081, 2838082

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय

सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.–सूडा(उ.प्र.)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–100) लखनऊ–226010
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः– 5154 / 03 / 29 / HFA-DPR/PMC-Vol-V / 2019–20 दिनांकः– 15 नवम्बर, 2019

1. मै0 स्नो फाउन्टेन कन्सलटेन्ट्स, लखनऊ।
2. मै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम, नई दिल्ली
3. मै0 रूद्राभिषेक एन्टरप्राईजेज प्रा0लि0, नई दिल्ली।
4. मै0 स्पेस कम्बाइन, नई दिल्ली।
5. मै0 सरयूबाबू इन्जी0 फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट, पटना
6. मै0 वाप्कॉस लि0, नई दिल्ली।
7. मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0, लखनऊ
8. मै0 जयेश ए0 दलाल, गुजरात।
9. मै0 सरयूबाबू इन्जी0 इन्डिया प्रा0लि0, मुम्बई।
10. मै0 हाईटैक बिल्डर्स, मध्य प्रदेश।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत गैर तकनीकी कर्मियों के स्थान पर तकनीकी कर्मियों को रखे जाने के संबंध में।**

दिनांक 11 एवं 13 नवम्बर, 2019 को मासिक समीक्षा बैठक में संज्ञान में आया कि कतिपय जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत जिला समन्वयक के पद पर गैर तकनीकी कर्मी कार्यरत है, जो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि पीएमसी कार्य हेतु कोई भी गैर तकनीकी कर्मी न रखा जाये। इससे आवासों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर तकनीकी कर्मी द्वारा केवल आफिस कार्य, लाभार्थी पत्रावली तैयार करने, फील्ड में आधार इकट्ठे करना आदि कार्य कराया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत समस्त गैर तकनीकी कर्मियों के स्थान पर तकनीकी कर्मी (सिविल इंजीनियर) नियुक्त कर मिशन निदेशालय को 10 दिवस के अन्दर अवगत कराये। अपनी संस्था के पी0एम0ए0वाई0 में कार्य कर रहे समस्त कर्मियों का डाटा बैंक निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 18.11.2019 तक हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान रखें कि यदि भविष्य में संस्था द्वारा किसी भी कर्मचारी को हटाया जाता है या नया नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सूचना मुख्यालय को देते हुए प्रत्येक दशा में हार्ड एवं साफ्ट कापी में भी अपडेट करा दें। यदि भविष्य में किसी भी संस्था का जिला समन्वयक गैर तकनीकी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए) /
निदेशक, सूडा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त डाटा बैंक अपने स्तर पर संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त परियोजना अधिकारी / सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए) /
निदेशक, सूडा।

Scanned by CamScanner

District-..						
S.no	Name	Designation	Qualification	MOBILE NO.	ULB	PHOTOS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Scanned by CamScanner